

IV 146



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ATTESTED

BB 822463



हम कि डा0 अशोक कुमार सिंह रघुवंशी पुत्र श्री कृष्ण नाथ सिंह मो0 प्रताप कालोनी, उमरपुर, हरिवन्धनपुर, तहसील - सदर जिला - जौनपुर एवं, श्रीमती नीलम सिंह पुत्री श्री सत्य नारायण सिंह ग्रा0 पोस्ट - टण्डवा, तहसील - लालगंज, जिला - आजमगढ़।

प्रीति सिंह पुत्री श्री जनार्दन सिंह ग्रा. सिधुवापार, पो0 - बड़हलगंज, तहसील - गोला, जिला - गोरखपुर।

यह कि हम इस विलेख के निष्पादक रघुवंश कुल के संस्कार, त्याग एवं मानवीय भावनाओं की पराकाष्ठा से अति प्रभावित होकर भारत के लोगों के कल्याण के लिये तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा, स्वास्थ्य, व उनसे सम्बन्धित पर्यावरण की सुरक्षा और उसके निवारण के लिये तथा उनके चरित्र, संस्कार तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आदि के लिये भी एक न्यास की स्थापना करना चाहते हैं और उसके लिये हम निष्पादक इस विलेख के अन्त में वर्णित सम्पत्ति का तत्काल सदैव के लिये संकल्प एवं समर्पण इस न्यास के पक्ष में कर रहे हैं। अतः हम निष्पादक निम्नलिखित शर्तों के अनुसार इस न्यास का सृजन कर रहे हैं। और उसके लिये यह न्यास का विलेख स्वेच्छापूर्वक एवं सहर्ष निष्पादित कर रहे हैं कि प्रमाण रहे और समय पर क.म आवे।

1. यह कि न्यास का नाम "रघुवंशी एजुकेशनल चैरिटेबुल ट्रस्ट" रहेगा। और जिसका मुख्य

Ashok Kumar Singh

N Singh

Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

A Singh

Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 822464

- कार्यालय रघुवंशी भवन मो0 उमरपुर हरिवन्धनपुर, तहसील-सदर, जिला-जौनपुर रहेगा।
2. यह कि इस न्यास के न्यासीगण का न्यासी मण्डल न्यूनतम तीन व्यक्तियों का सदैव रहेगा। और तात्कालिक न्यासी मण्डल को उसमें किसी कारणवश किसी स्थायी रिक्ति के अवस्था में शेष न्यासीगण, रघुवंश कुल के जीवनशैली के अनुयायी निष्ठावान, और न्यास के उद्देश्य हेतु समर्पित व्यक्ति को रिक्ति के बाद यथाशीघ्र एक माह के अन्दर उस व्यक्ति को लिखित सहमति एवं स्वीकृति के साथ चयनित करके उस रिक्ति की पूर्ति कर देंगे। और यही प्रक्रिया निरन्तर इस न्यास के अस्तित्व काल तक कायम रहेगी।
  3. यह कि वर्तमान न्यासी मण्डल में हम निष्पादक के अतिरिक्त
    - (1) श्रीमती नीलम सिंह पुत्री सत्य नारायण सिंह ग्रा0 व पोस्ट - टंडवा, तहसील - लालगंज, जिला - आजमगढ़
    - (2) प्रीति सिंह पुत्री जनार्दन सिंह ग्रा0 - सिधुवापार पोस्ट - बड़हलगंज, तहसील - गोला, जिला - गोरखपुर
 अन्य न्यासीगण बनाये गये हैं। जिन्होंने अपनी लिखित सहमति एवं स्वीकृति दे दिया है।
  4. यह कि इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष में रहेगा।
  5. यह कि इस न्यास के द्वारा प्राथमिक, शिशु शिक्षा से लेकर महाविद्यालय से स्नातकोत्तर महाविद्यालय बी0एड0, एम0एड0 तथा अन्य विद्यालय प्रत्येक क्षेत्र तक की शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान तकनीकी शिक्षा आदि के लिये विभिन्न

Ashok Kumar Singh

4053 स्वयं विद्यया वा विदुः 17-16-12  
 स्टेम हटाने वाले का प्रयोग.....स्टेम की अवस्था 100

स्टेम हटाने का नाम व पुरा पता..... 4078 4052

आनन्द कुमार सिंह  
 स्वयं विद्यया वा विदुः  
 विद्यापीठ रुहता  
 राहता



यास पत्र

25,000.00 250.00 40 290.00 1,600  
 प्रथम रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग अक्षर भंगमन

नाम की प्रति श्री. श्री. अशोक कुमार सिंह रघुवशी पुत्र श्री. कृष्णनाथ सिंह

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थान प्रतापकालोनी परगना हवेली तहसील राहता जिला जौनपुर

पता का पुरा

न. नं. 18/10/2012 दिनांक 18/10/2012 समय 11:53AM

दिनांक 18/10/2012

*Ashok Kumar Singh*



रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम अकबाल सिंह)  
 उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर  
 18/10/2012

लिखावन नरपत्र उदर मनने व मसखने पत्रमन  
 पदवी

श्री. श्री. अशोक कुमार सिंह रघुवशी

पुत्र श्री. कृष्णनाथ सिंह

पेशा नौकरी

निवासी प्रतापकालोनी परगना हवेली तहसील राहता जिला जौनपुर

जौनपुर

*Ashok Kumar Singh*



*आनन्द कुमार सिंह*  
 नि. नि.

व लिखावन नरपत्र किये

निवासी स्थान श्री. राधेश्याम पाण्डेय

पुत्र श्री. पारसनाथ

पता कवालत

निवासी जौनपुर परगना हवेली तहसील राहता जिला जौनपुर

पेशा सभाजीत

पुत्र श्री. नगूराम चावत

पता कृषि

निवासी पिम्हरा परगना सरेयू तहसील राहता जिला जौनपुर

जौनपुर

पता का पुरा

निवासी स्थान श्री. राधेश्याम पाण्डेय

पुत्र श्री. पारसनाथ

पता कवालत

निवासी जौनपुर परगना हवेली तहसील राहता जिला जौनपुर

पेशा सभाजीत

पुत्र श्री. नगूराम चावत

पता कृषि

निवासी पिम्हरा परगना सरेयू तहसील राहता जिला जौनपुर

जौनपुर

पता का पुरा

निवासी स्थान श्री. राधेश्याम पाण्डेय

पुत्र श्री. पारसनाथ

पता कवालत

निवासी जौनपुर परगना हवेली तहसील राहता जिला जौनपुर

पेशा सभाजीत

पुत्र श्री. नगूराम चावत

पता कृषि

निवासी पिम्हरा परगना सरेयू तहसील राहता जिला जौनपुर

जौनपुर

पता का पुरा

रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम अकबाल सिंह)  
 उप निबन्धक (सदर)  
 जौनपुर

*आनन्द कुमार सिंह*  
 नि. नि.

*N Singh*  
 Principal  
 Holy Child Academy Sr. Sec. School  
 Ruhatta, Jaunpur

*A Singh*  
 Manager  
 Holy Child Academy Sr. Sec. School  
 Ruhatta, Jaunpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 822465

विद्यालय भवनों की स्थापना विभिन्न उपलब्ध व उपयुक्त स्थलों पर की जायेगी और उसके साज सामान, शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारीगण की नियुक्ति उचित वेतनमान आदि एवं सेवा परिलब्धियों की उत्तम शिक्षा आदि, उत्तम प्रबन्धन एवं प्रशासन के लिये कुशल योग्य एवं विधिक नियम के अनुसार पात्र व्यक्तियों को सेवायोजित अथवा अनुबन्धित किया जायेगा। और उसके लिये आवश्यक धन, सामग्री, उपकरण, रख-रखाव, सम्पत्ति आदि की व्यवस्था की जायेगी और इसके अतिरिक्त इसी प्रकार प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनाथालय और वाचनालय एवं कीर्णा, अमोद-प्रमोद व मनोरंजन के स्थल, वाटिका, चिकित्सालय, व आमोद-प्रमोद और उसके लिये आवश्यकतानुसार उचित साधनों व श्रोतों एवं चन्दा आदि से सहयोग व सहायता व सतत् निष्ठापूर्वक प्रयास किया जायेगा। और इस न्यास के लाभार्थियों के हित में उनकी प्रगति व विकास के लिये हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

6. यह कि यह न्यास मुख्यतः भारतवर्ष एवं उत्तर प्रदेश राज्य के असहाय वृद्ध, विकलांग, असमर्थ, अशक्त, निर्बल एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों की उचित एवं आवश्यक सहायता और उनके स्वास्थ्य, भरण-पोषण, एवं चिकित्सा आदि की उचित और आवश्यक व्यवस्था के लिये सदैव निष्ठापूर्वक प्रयासरत व कार्यशील रहेगा।
7. यह कि उपरोक्त न्यास के प्रथम न्यासी मण्डल में हम निष्पादक और उपरोक्त अन्य न्यासीगण उपरोक्त आजीवन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगे। और

Asok Kumar Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 822466

प्रधान न्यासी हम निष्पादक डा0 अशोक कुमार सिंह रघुवंशी आजीवन रहेंगे। और न्यास का सभी कार्य व संचालन भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्राविधान के अनुसार निष्ठापूर्वक, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के अनुसार होता रहेगा। और तदनुसार न्यासी मण्डल उपरोक्त शर्तों के अधीन कार्यरत रहेगा। और कभी इस न्यास के हित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। और न इस न्यास का उल्लंघन या इसके साथ कोई विश्वासघात करेगा।

8. यह कि उपरोक्त न्यासी मण्डल का पूर्णाधिकार प्रधान न्यासी हम निष्पादक डा0 अशोक कुमार सिंह रघुवंशी सामान्यतः निहित रहेगा। जिन अधिकारों का समय-समय पर सुविधा व आवश्यकता के अनुसार प्रधान न्यासी के द्वारा लिखित निर्देश से किसी अन्य न्यासी को प्रत्यायोजन सम्भव रहेगा। और न्यासी मण्डल के किसी मतभेद की अवस्था में बहुमत के आधार पर अवांछित रूप से हुये किसी प्रस्ताव व विनिश्चय पर प्रधान न्यासी को उस मतभेद के अनुसार विवेकानुसार समाधान एवं उस विनिश्चय व प्रस्ताव को निरस्त करके उस स्थान पर अपना निर्देश अपने विवेकानुसार देने का अधिकार रहेगा। और इस ट्रस्ट की सभी संस्थाओं व कार्ययोजनाओं एवं कार्यकलापों से सम्बन्धित कर्मचारीगण की नियुक्ति सेवाशर्त, सेवासमाप्ति सेवाविरतता, सेवामुक्ति, पदावनति, निलम्बन आदि का भी सभी अधिकार न्यासीमण्डल की ओर से प्रधान न्यासी में निहित रहेगा। जिसका उपयोग प्रधान न्यासी उपरोक्त उद्देश्यों एवं विषयों को ध्यान में रखकर इस न्यास में हित में निष्पक्ष रूप से किसी अनुचित भेद-भाव या द्वेष-भाव से करेंगे। और आवश्यकतानुसार उससे सम्बन्धित किसी बाध्यकारी विधि का

Ashok Kumar Singh

*N Singh*  
Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

*A Singh*  
Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 822467

अनुपालन करेंगे। और विधि के अनुसार यदि आवश्यक होगा तो उसके लिये उचित प्रशासन योजना आदि की व्यवस्था भी अन्य न्यासीगण के सहयोग एवं परामर्श से करेंगे।

- 8.(ए) यह कि प्रधान प्रमुख न्यासी द्वारा यदि कहीं 30प्र0 बोर्ड/सेन्दूल बोर्ड आफ सेकेन्डी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने पर वह संस्था शासन द्वारा निर्गत किये गये विधि-विधान से संचालित होगी तथा निम्न तथ्यों का भी आवश्यकतानुसार समावेश होगा।
- 8.(बी) यह कि विद्यालय के संचालक मण्डल में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 8.(सी) यह कि विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे। और उनसे 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 8.(डी) यह कि संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी। और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्दूल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने पर 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से

*Deeshok Kumar Singh*

*Nsimh*  
Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

*Asingh*  
Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 822468

- मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- 8.(ई)यह कि संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
  - 8.(एफ)यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और इन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - 8.(जी)यह कि संस्था में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
  - 8.(एच)यह कि संस्था में विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। तथा संस्था में उपरोक्त शर्तों का अनुपालन अक्षरशः किया जायेगा।
  9. यह कि इस न्यास को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई अन्य सम्पत्ति अर्जित करने अथवा प्राप्त करने और रखने व धारण करने का अधिकार रहेगा। और वह कुल सम्पत्ति इस न्यास की रहेगी। और इसकी कोई अचल सम्पत्ति को किसी अन्य को स्थाई रूप से अन्तरित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं रहेगा।
  10. यह कि किसी प्रकार का कोई दान-प्रतिदान अनुदान या अभिदान किसी व्यक्ति संस्था राज्य के द्वारा किसी सम्पत्ति या धन का इस न्यास के पक्ष में और इसके नाम से ही होगा।
  11. यह कि इस न्यास का वित्तीय एवं आर्थिक प्रबन्धन और प्रशासन इस न्यास के

*A Singh, Akhoy Kumar Singh*

*N Singh*  
Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

*A Singh*  
Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सुरेश सिंह रादव  
उपरोक्तिका कोषागार BB 822809  
जौनपुर

हित में इसके नाम से सदैव सुचारु रूप से होता रहेगा। जिसकी व्यवस्था प्रधान न्यासी व न्यासी मण्डल के द्वारा उपरोक्तानुसार की जायेगी और उसके लिये आवश्यक कोष और उसके रख-रखाव की व्यवस्था और किसी बैंक, डाकखाना, वित्तीय संस्था आदि में उसके जमा व लाभदायी निवेश आदि की भी व्यवस्था उसी प्रकार होती रहेगी। जिसका संचालन सामान्यतः प्रधान न्यासी के द्वारा या उनके निर्देशानुसार होता रहेगा। और समय-समय पर उसके लिये सक्षम वित्तीय परामर्श वित्तीय संस्था की सहायता एवं मार्गदर्शन एवं किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या उनकी फर्म या संस्था की सहायता व परामर्श से लिया जायेगा।

- यह कि इस न्यास की सभी आय-व्यय का नियमानुसार नियमित लेखा-जोखा निरन्तर रखा जायेगा और समय-समय पर उचित योग्य एवं सक्षम व्यक्ति अथवा किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या उनकी फर्म या संस्था के द्वारा उनका सम्परीक्षण कराया जायेगा।
- यह कि किसी कर्मचारी या अनुबन्धित व्यक्ति या इस न्यास से सम्बन्धित किसी कार्य कलाप के प्रभारी व्यवस्थापक या प्रबन्धक के पदनाम कार्य, कर्तव्य, दायित्व, कार्यविधि आदि की भी व्यवस्था उपरोक्तानुसार न्यासी मण्डल अपने प्रधान न्यासी के द्वारा करता रहेगा। और उन में से किसी व्यक्ति के द्वारा पद के दुरुपयोग या कार्य शिथिलता या कार्य उदासीनता या कार्याभाव आदि की दशा में उसके विरुद्ध तत्काल उचित कार्यवाही करने का अधिकार भी प्रधान न्यासी में निहित रहेगा।

*Asmit Kumar Singh*



*Nsimh*  
Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

*Asingh*  
Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 918270

14. यह कि किसी भी समय तत्कालीन न्यासी मण्डल ने प्रधान न्यासी की स्वीकृति एवं सहमति से अन्य किसी व्यक्ति को किसी सामयिक अथवा एकमुश्त सर्वकालिक चन्दे या दान के आधार पर इस न्यास के प्रति निष्ठावान एवं रघुकुल की जीवन शैली के प्रति समर्पित को न्यासी बनाकर न्यासी मण्डल का अतिरिक्त सदस्य बना सकता है। और उसके तत्कालीन आकार का विस्तार कर सकता है। और प्रधान न्यासी की मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थता की दशा में किसी अन्य न्यासी को प्रधान न्यासी की इच्छा व अनुदेश का आदर करते हुये उसे प्रधान न्यासी बना सकता है।
15. यह कि प्रधान अर्थात् मुख्य न्यासी श्री डा0 अशोक कुमार सिंह रघुवंशी को यह अधिकार होगा कि वे अपने जीवन काल में ही किसी सक्षम व योग्य व्यक्ति को अपने पद पर नियुक्त कर दें। इस नियुक्ति को किसी भी स्तर पर कोई चुनौती देने की शक्ति नहीं रखेगा।

**विवरण सम्पत्ति**

प्रधान प्रमुख न्यासी श्री डा0 अशोक कुमार सिंह रघुवंशी व अन्य सदस्यों द्वारा 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) रघुवंशी एजुकेशनल चैरिटेबुल ट्रस्ट में न्यस्य किया गया।

*Ashok Kumar Singh*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 917476

मसीवदाकर्ता रमेश चन्द्र श्रीवास्तव

वसीकानवीस

सदर जौनपुर

दिनांक:

१८ - १० - २०१२ ई

हस्ताक्षर

Ashok Kumar Singh

गवाह

Radhakrishnan Pandey  
Advocate  
S/O Sri P. M. Pandey  
1134, TARAPUR  
COLONY JAUNPUR

गवाह

Sabha Jit Yadav  
Hanguo Ram Yadav  
Village - Pindra P/O-Kudki  
Jaunpur


*N Singh*

Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

*A Singh*

Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur






आव दिनांक 18/10/2012 को  
पृष्ठ सं 4 जिल्द सं 71  
पृष्ठ सं 353 से 374 पर क्रमांक 146  
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



  
(राम अकवाल सिंह)  
उप निबंधक (सदर)  
जौनपुर  
18/10/2012

  
Principal  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur

  
Manager  
Holy Child Academy Sr. Sec. School  
Ruhatta, Jaunpur